

10/7/17

कार्यालय आदेश सं... 102/17

श्री सत्यजीत कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट/ वाराणसी जिन्हें एनआईपी सं या/537/1/2/1570/3163 दिनांक 12.11.2015 द्वारा रेल सेवा से बर्खास्त (Dismissal) का दण्ड अधिरोपित किया गया था, को पुनरीक्षण पर पुनरीक्षण अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय दिनांक 11.01.2017 के द्वारा अधिरोपित बर्खास्त (Dismissal) के दण्ड को मोडिफाई करते हुए 10 वर्षों के लिए संचयी प्रभाव से सहायक लोको पायलट के वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1900/- के न्यूनतम वेतन पर पुर्नबहाली (Reinstated) किये जाने का आदेश पारित किया है तथा बर्खास्तगी से अब तक की अवधि को DIES-NON माना गया है।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री सत्यजीत कुमार पुत्र सत्यनारायण सिंह को सहायक लोको पायलट वेतनमान 5200-20200+ग्रेड पे 1900/- के पद पर न्यूनतम वेतन 5830+1900/- सातवे वेतन आयोग के तहत लेवल-2 के न्यूनतम वेतन 19900/- से पुर्नबहाली करते हुए डीजल लॉबी वाराणसी के अधीन पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदस्थापना पर प्लेसमेंट कमेटी एवं वमंयाई (ओएण्डएफ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(वि.के.मिश्रा)

सहायक कार्मिक अधिकारी/।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी

दिनांक 05.07.2017

सं का/या/पीसी/सत्यजीत कुमार/2017

प्रतिलिपि सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमंयाई (ओएण्डएफ) वाराणसी।
2. वमंविप्र/वाराणसी।
3. मुख्य क्लर्क नियंत्रक, डीजल लॉबी- वाराणसी।
4. मुख्य शक्ति नियंत्रक/वाराणसी।
5. मुख्य कार्याधी/यांत्रिक बिल।
6. मुख्य कार्याधी/एमपीपी सेल।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एवं ओबीसी/वाराणसी।
10. अन्य प्रति।

(वि.के.मिश्रा)

सहायक कार्मिक अधिकारी/।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी